न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्याः–24/2022 दायर दिनाँक 06.07.2022

प्रार्थीगण

1. रूपदान पुत्र हणुतदान, उम्र 62 वर्ष
2. रिछपालदान पुत्र हणुतदान उम्र 55 वर्ष समस्त जातिगण चारणो का बास, तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. कन्हैयालाल पुत्र मुलचन्द जाति महाजन निवासी मौलासर, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

प्रार्थना–पत्र
अन्तर्गत धारा–251 ए
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री मो0 रफीक वकील प्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 22.09.2022

संक्षेप में प्रार्थी की प्रार्थना इस प्रकार है कि खेत खसरा सं0 206/21 रकबा 1.7900 हैक्टेयर मौजा चारणो का बास, पटवार हल्का अलखपुरा, भू–अभि0 नि0 क्षैत्र मौलासर तहसील डीडवाना जिला नागौर राज. में अवस्थित है जो की हमारी खातेदारी सुदा खेत है प्रार्थीगण के उक्त खेत 206/21 में वर्तमान में खेत तक पहुंचने हेतु कोई कटाणी रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नही है। जिस हेतु नये कट्टाणी रास्ते के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(ए) उपधारा (1) के अन्तर्गत रास्ते की अनुमती लेना चाहते है।

प्रकरण में तहसीलदार, डीडवाना से रिपोर्ट ली गई। प्रार्थी के खेत में आवागमन हेतु नजरी नक्शे में दर्शित मार्क A से B सबसे नजदीक रास्ता है।

तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थीगण के खेत खसरा सं0 27 पर प्रस्तावित रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:38:45 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

–:: आदेश ::–

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर इनकी खातेदारी के खेत खसरा सं0 206/21 रकबा 1.7900 हैक्टेयर मौजा चारणों का बास में तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट अनुसार को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर रास्ता की भूमि घोषित की जाती है। नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर इनकी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 206/21 में आवागमन हेतु तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट पत्रांकः 388 दिनाँक 29.07.2022 में दर्शित भूमि अप्रार्थीगण के खेत खसरा सं0 27 पर प्रस्तावित रास्ता वाके सरहद चारणों का बास में से रास्ता की भूमि घोषित की जाती है। तहसीलदार डीडवाना राजस्व रेकर्ड में उक्तानुसार अमल दरामद करने से पूर्व रास्ता में गयी भूमि की कीमत वर्तमान डी0एल0सी0 दर के हिसाब से तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट अनुसार 17946 रू. बनता है जो प्रभावित खातेदारान् को भूगतान करावे। तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट पत्रांकः 388 दिनांक 29.07.2022 निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 22.09.2022 को सरे इजलास में सुनाया गया।

कार्तिकेय मीणा
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:38:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner